फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 233 प्रभात जयपुर, शनिवार 28 मार्च, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

The Toxicity of Honey!

When honey is heated, especially at high temperatures, it undergoes a chemical transformation that makes it potentially harmful

A Marvel of Strength and Precision

The Maid of Orléans

She convinced Charles VII to allow her to accompany the French army to the besieged city of Orléans

''डैड लाइन'' से कुछ घंटे पहले, कांग्रेस को राहत मिली

सरकार ने, 24, अकबर रोड खाली करने के लिए कांग्रेस को कुछ और समय देने का निर्णय लिया

- प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी, केन्द्रीय आवास मंत्री खट्टर से सम्पर्क स्थापित करने में जुटी थी।
- खट्टर ने पहले तो मोहलत देने से साफ मना कर दिया था, पर, अंतिम समय में कांग्रेस मुख्यालय व यूथ कांग्रेस का ऑफिस खाली करने के लिए कुछ और समय देने के लिए अपनी सहमति दे दी।
- कांग्रेस ने राहत की सांस ली, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता, नेता व स्टाफ इस बात से काफी विचलित थे कि 48 साल से उनका ''दूसरा घर'' (सैकण्ड होम), अब उनसे छिन जाएगा।
- पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं को यह भय था कि जिस तरह यूएनआई का दफ्तर, टेबल -कुर्सियाँ बाहर फैंक कर सील कर दिया गया था, ऐसा हश्र उनके, 24, अकबर रोड, स्थित मुख्यालय का न हो।
- पर, अगर ऐसा होता तो यह खबर हैडलाइन बनती, विश्व भर में, क्योंकि आखिर कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है तथा कई दशकों तक सरकार की बागडोर कांग्रेस के हाथ में ही रही है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय को खाली करने की तय समय सीमा से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस को राहत मिली है, सरकार ने उन्हें और समय देने पर सहमति जताई है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कुछ अधिकारी केन्द्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में थे, जिन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन आखिरी समय में वे युवा कांग्रेस कार्यालय और एआईसीसी मुख्यालय, दोनों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर सहमत हो गए।

अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं कि असल में क्या बातचीत हुई।

लेकिन कांग्रेस पार्टी में काफी राहत है, क्योंकि नेता, कार्यकर्ता और कर्मचारी अपने इस कार्यालय को खोने की संभावना से परेशान थे, जिसे वे अपना दूसरा घर मानते हैं। यह जगह पिछले 48 वर्षों से पार्टी के पास है।

कांग्रेस नेताओं को यह डर था कि उनके कार्यालय को भी उसी तरह सील कर दिया जाएगा, जैसे यू.एन.आई. के कार्यालय को सील किया गया था और वहां से मेज-कुर्सियां बाहर फेंक दी गई थीं।

अगर ऐसा होता तो यह निश्चित रुप से अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनता, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और देश चलाने का उसका लंबा इतिहास रहा है।

एआईसीसी मुख्यालय ने कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, यहाँ के गलियारों में कई वरिष्ठ नेताओं के कदम पड़े हैं, और यहीं से पार्टी दफ्तर ने केन्द्र और राज्यों में सरकारों का संचालन किया है।

रुपए की कीमत में एतिहासिक गिरावट

नई दिल्ली, 27 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारतीय मुद्रा रुपया की कीमत पर लगातार दबाव बना हुआ है। आज डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा रिकॉर्ड 94.85 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गई। हालांकि कारोबार के अंत में डॉलर की मांग में मामूली कमी आने के कारण भारतीय मुद्रा 85 पैसे की कमजोरी के साथ

- दिन में रुपये की कीमत 94.85 पैसे प्रति डॉलर तक गिर गई। दिन के अंत में स्थिति सुधरी और कीमत 94.81 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुई।

94.81 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय मुद्रा 93.96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी।

रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की कमजोरी के साथ पहली बार 94 रुपये के स्तर को पार कर 94.15 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। बाजार खुलने के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खाड़ी देशों के युद्ध में फंसे सभी राष्ट्र अब इस युद्ध से किसी तरह छुटकारा चाहते हैं

इतने दिनों की लड़ाई में एक बात तो स्पष्ट हुई, किसी को भी पूरी तरह से विजय नहीं मिली

- न तो अमेरिका व इज़रायल, इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार उपलब्ध नहीं होंगे।
- साथ ही ईरान कभी भी भीषण बमबारी करके, इज़रायल का अस्तित्व नहीं मिटा सकता है।
- अमेरिका को शायद यह भरोसा था कि वेनेज़ुएला की भांति ईरान में भी तुरंत आनन-फानन में वो युद्ध जीत जाएगा।
- खाड़ी युद्ध में सबसे बड़ी हार हुई ट्रंप की व अमेरिका की, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका का अपने सबसे पुराने व विश्वासी मित्र, पश्चिमी यूरोप से नाता टूट गया।
- अब कुछ समय बाद अमेरिका में ''मिड-टर्म'' चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पूर्व ट्रंप की प्रतिष्ठा व छवि को धक्का पहुँचना खतरे से खाली नहीं है।
- अतः अब अमेरिका ही नहीं, ईरान भी इस युद्ध से जल्द से जल्द छुटकारा चाहता है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। पश्चिम एशिया का युद्ध जैसे-जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे-वैसे एक सच्चाई धीरे-धीरे सामने आ रही है - कोई भी पक्ष वह निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकता, जिसने उसे इस युद्ध में धकेला था। लेकिन यदि इसमें पराजित होने वाली कोई एक बड़ी हस्ती है तो वह है, डॉनल्ड ट्रंप व उनकी सत्ता।

अपने घोषित उद्देश्य के विपरीत, अमेरिका और इज़रायल यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके; वहीं, ईरान भी इज़रायल को पूरी तरह समाप्त करने की कल्पना साकार नहीं कर सकता। भविष्य की एकमात्र आशा यही है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की मजबूरियों को समझें।

डॉनल्ड ट्रंप को उनके अहंकार और कुछ शुरुआती झूठी सफलताओं ने युद्ध में धकेल दिया। वेनेज़ुएला में अमेरिकी अभियान को जिस तरह फटाफट सफलता मिली, उसने ट्रंप को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेट्रोल व डीज़ल पर एक्साईज़ ड्यूटी कम करने का किसको लाभ मिलेगा?

केन्द्रीय सरकार का कहना है, इसका लाभ सीधे आम जनता को मिलेगा

- पर, कांग्रेस के अनुसार, इस एक्साईज़ घटाने का मकसद केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाभ पहुँचाना है। क्योंकि, एक्साईज़ ड्यूटी घटाने के बाद भी पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल व डीज़ल अभी भी पुराने दामों पर ही मिल रहा है।
- कांग्रेस का यह भी कटाक्ष है कि चार राज्यों, केरल, तमिलनाडु, प.बंगाल व असम में चुनाव से पूर्व मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक्साईज़ ड्यूटी घटाई गई है और मतदान होते ही पेट्रोल व डीज़ल के दामों में भारी वृद्धि होगी।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज़ ड्यूटी) में 10-10 रुपये की कटौती की, जिसका मकसद ''नागरिकों को राहत'' देना है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह कटौती तेल विपणन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ''तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी की हिम्मत तो देखिए। वे कहते हैं कि वे भारत के लोगों को राहत देना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर बोझ न पड़े। लेकिन पेट्रोल पंपों पर ईंधन के दाम वही रहेंगे।'' उन्होंने आगे कहा, सरकार ने पिछले 11 सालों में 12 बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। अब इसमें कटौती करना भारत के लोगों पर कोई एहसान नहीं है।''

इस बीच, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम जैसे चार महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा, ''पिछले 12 सालों में, जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें घटीं, तब भारत में पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम नहीं किए गए। आज की घोषणा चुनावों की वजह से की गई है। 30 अप्रैल तक इंतजार कीजिए।''

उन्होंने इशारा किया कि इन चार विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद ग्राहकों को ईंधन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

गौरतलब है कि शुक्रवार को पेट्रोल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बालेन्द्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने

काठमांडू, 27 मार्च। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में 36 वर्षीय बालेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इससे पहले, राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 76(1) के

- वे नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले मधेशी समुदाय के पहले व्यक्ति हैं।

अनुसार, प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में शाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेपाल के संविधान 2015 (2072) के लागू होने के बाद इस धारा का उपयोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने का यह पहला अवसर है। साथ ही मधेशी समुदाय से किसी व्यक्ति का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना भी पहली बार हुआ है।

काठमांडू महानगर के मेयर पद से इस्तीफा देकर चुनाव में भाग लेने वाले शाह पहली बार संसद में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने झापा क्षेत्र-5

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'डेढ़ करोड़ रूपए टैक्स चुकाने पर खुलेगी ट्राइटन मॉल की बेसमैंट पार्किंग'

हाई कोर्ट ने थर्ड पार्टी संचालित बेसमैंट पार्किंग खोलने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया

- अदालत में ट्राइटन मॉल की ओर से कहा गया कि, उन्होंने यह भूमि जेडीए को सरैंडर की थी, जेडीए ने ही पार्किंग सुविधा और उसके रखरखाव के लिए जगह उनको दी है। ट्राइटन मॉल ने थर्ड पार्टी ठेकेदार को पार्किंग संचालन दे रखा है।
- इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, अगर जेडीए को यह जगह सरैंडर की गई है तो जेडीए ही इस पार्किंग के संचालन और रखरखाव का काम क्यों नहीं कर लेता? इससे जेडीए को राजस्व भी मिलेगा।
- नगर निगम की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस. गिल ने कहा कि, ''पार्किंग जेडीए प्रशासन वापस ले अथवा नहीं, यह आदेश नगर निगम प्रशासन जेडीए को नहीं दे सकता है और यह इनके कार्यक्षेत्र के बाहर का मामला है।''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 27 मार्च। चौमूं पुलिया स्थित ट्राइटन मॉल और 22 गोदाम सर्किल स्थित मन उपासना शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में थर्ड पार्टी पार्किंग पर नगर निगम द्वारा यूडी (अरबन डवलपमैंट) टैक्स लगाने के मामले पर हाई कोर्ट सुनवाई हुई। गौरतलब है कि गत 25 मार्च को नगर निगम ने बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर ट्राइटन मॉल की बेसमेंट पार्किंग के प्रवेश द्वार को सीज़ कर दिया था। इसके खिलाफ 27 मार्च को सीज़ करने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे देने की मांग की गई। स्टे देने के लिए याचिका आवेदन दायर किया गया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और रवि चिराणिया की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि ट्राइटन मॉल 3 करोड़ रुपए की टैक्स व पेनल्टी राशि में से डेढ़ करोड़ रुपए की राशि चुकाए, तभी सीज खोली जाएगी। चूंकि ट्राइटन मॉल के संचालक सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा. लि. ने पूर्व में 48 लाख रु. टैक्स राशि जमा करवाई थी, ऐसे में अब उसे शेष 1 करोड़ 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे।

दूसरी ओर, मन उपासना मॉल के संचालक किशन गोपाल रूंगटा प्रा. लि. फर्म को इसी तरह के अन्य प्रकरण में अदालत ने 7 जनवरी से अंतरिम स्टे की राहत दे रखी है, जिसे कोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखा है।

इस मामले की सुनवाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता के समक्ष सूचीबद्ध थी, परंतु न्यायाधीश एस.पी.शर्मा अवकाश पर थे, इसलिए इस मामले पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और रवि चिराणिया ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, ट्राइटन मॉल की ओर से कहा गया कि उनके द्वारा यह भूमि जेडीए में सरेंडर की गई है तथा जेडीए ने ही यह भूमि सुविधा और उसके रखरखाव के लिए पार्किंग के लिए दी है। उनकी ओर से यह भी माना गया कि, पार्किंग थर्ड पार्टी ठेकेदार को संचालन और रखरखाव के लिए दी हुई है। इस पर अदालत ने टिप्पणी की है कि अगर जेडीए को यह जगह सरेंडर की गई है तो जेडीए ही इस पार्किंग के संचालन और उसके रखरखाव का काम क्यों नहीं कर लेता? अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर जेडीए ही पार्किंग संचालन कर ले तो उसे राजस्व आय भी हो जाएगी।

इस पर नगर निगम की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस.गिल ने कहा कि पार्किंग जेडीए प्रशासन वापस ले अथवा नहीं, यह आदेश नगर निगम प्रशासन जेडीए को नहीं दे सकता है और यह इनके कार्यक्षेत्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जग वसंत जहाज एलपीजी लेकर कांडला पहुंचा

कच्छ, 27 मार्च। मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के समुद्री मार्ग पर बढ़े खतरों के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारत का 'जग वसंत' जहाज एलपीजी लेकर शुक्रवार को सुरक्षित गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया।

'जग वसंत' जहाज लगभग 42,000 से 46,000 मीट्रिक टन

- जहाज में 42 से 46 हजार मीट्रिक टन गैस लदी है।

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर भारत आया है। होर्मुज की खाड़ी में बढ़े सैन्य तनाव के बीच इस जहाज का सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचना केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक रूप से भी बड़ी सफलता मानी जा रही है।

पिछली गहलोत सरकार में कोटपूतली में रातोंरात 150 मकान-दुकानें तोड़ने का मुद्दा पुनः गर्माया

हाईकोर्ट ने कोटपूतली नगर परिषद आयुक्त को 21 अप्रैल को अगली सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने के आदेश दिए

- अदालत ने कहा कि, ''आयुक्त स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर समझाएं कि, किस कानून अथवा प्रक्रिया के तहत 60 फीट की सड़क को 80 फीट चौड़ी करने के नाम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। क्योंकि आज भी मास्टर प्लान में यह सड़क 60 फीट चौड़ी ही दर्शायी हुई है।''

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 27 मार्च। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कोटपूतली में नगर परिषद् द्वारा 150 से ज्यादा मकान-दुकानों को नियम विरूद्ध तोड़फोड़ का मामला पुनः गर्मा उठा है। मास्टर प्लान में 60 फीट की सड़क को 80 फीट चौड़ी बताकर वर्ष 2021 में रातोंरात सैकड़ों घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए थे। इस कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई हुई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और न्यायाधीश बलविंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने नगर परिषद् आयुक्त को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि, 21 अप्रैल को अगली सुनवाई में आयुक्त नगर परिषद् स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर समझाएं कि, किस कानून अथवा प्रक्रिया के तहत 60 फीट की सड़क को 80 फीट चौड़ी करने के नाम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। क्योंकि आज भी मास्टर प्लान में यह सड़क 60 फीट चौडी ही दर्शायी हुई है।

अदालत ने अपने आदेश में पूछा है कि, कोटपूतली में तोड़फोड़ की इस कार्रवाई से पूर्व क्या नगर परिषद् द्वारा प्रभावित लोगों से जमीन अवाप्ति की कार्रवाई की गई थी? अगर कमिश्नर के पास इस सवाल का जवाब नहीं है अथवा सड़क चौड़ी करने का ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था तो आयुक्त यह बताएं कि लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा दोषी अधिकारियों से क्यों नहीं वसूला जाए?

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में नगर परिषद् ने जयपुर-दिल्ली हाईवे से लगती हुई कोटपूतली रोड, जो कि विवेकानंद स्कूल तक जाती है, पर वर्षों पुराने मकान और दुकानों पर रातोंरात बुलडोज़र चला दिए। इससे पहले प्रभावित लोगों को ना तो कोई स्थायी अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी हुआ था और ना ही प्रशासन ने उन्हें भूमि अवाप्ति अथवा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी दी। नगर परिषद् ने सिर्फ अस्थायी अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिए और लोगों के वर्षों पुराने पक्के मकानों व दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

इस मामले में कुछ प्रभावितों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव की खंडपीठ में नगर परिषद् को आदेश दिए थे कि सड़क चौडी करने की कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जा सकती है। सड़क चौडी करने से पूर्व नगर परिषद् को प्रभावित लोगों को चर्चाएं करके उनकी आपत्तियों पर सुनवाई करनी जरूरी है। परंतु इसके विपरीत अपनी मनमर्जी से ही 60 फीट चौडी सड़क को 80 फीट चौडी करने के नाम पर रातोंरात बुलडोजर चला दिए।

इसके खिलाफ जब हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें पूछा गया कि नगर परिषद् ने मास्टर प्लान में आखिर कब 60 फीट चौड़ी सड़क को 80 फीट किया। इन मामलों की सुनवाई के दौरान भी नगर परिषद् की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि, मास्टर प्लान में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। जिस पर अदालत ने कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए थे, परंतु करीब 5 साल बीतने के बावजूद भी ना तो कोई जांच कमेटी का गठन हुआ और ना ही प्रभावित लोगों को न्याय मिला। इस कारण अब पुनः हाईकोर्ट में प्रभावित लोगों की ओर से विशेष अपील याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई में पूर्व में अदालत ने नगर परिषद् से शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा था, लेकिन उनके जवाब से कोर्ट सहमत नहीं हुई। इसलिए अब 21 अप्रैल को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने आयुक्त को तलब करते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

रामनवमी पर 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे

अयोध्या, 27 मार्च। अयोध्या में रामनवमी पर ठीक दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्रीराम का प्रतीकात्मक जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान सूर्य ने अपनी किरण से श्रीरामलला का मस्तकाभिषेक किया।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन्मोत्सव पर रामलला के अभिषेक का सीधा प्रसारण देखा।

उसके बाद प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम मंदिर में भगवान सूर्य की किरणों से श्रीरामलला के मस्तकाभिषेक का सीधा प्रसारण देखा। रामनवमी के दिन शुक्रवार को अयोध्या नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामनवमी के अवसर पर 26 व 27 मार्च को दो दिन करीब 35

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)